रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 1971/भाद्र 22, 1893

No. 133] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 1971/BHADRA 22, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th September 1971

SUBJECT.—*Issue of release orders for canalised items of iron and steel during April 1971—March 1972 period.*

No. 117-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the list of items the import of which is canalised through public sector agencies, as contained in Section III of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April '71—March '72.

2. It has been decided that in respect of canalised items of iron and steel, the licensing authorities will issue release orders valid for six months only within which period the actual users should register their requirements with the canalising agencies. The canalising agencies concerned will not accept the release orders for supply of goods if the release orders are not registered with them within the validity period of six months.

3. Actual users holding release orders for iron and steel items already issued to them for the licensing period April 1971—March 1972 should also register their release orders with the canalising agency concerned within six months from the date of issue of release order.

4. In respect of release orders issued for the licensing period prior to April 1971—March 1972 the actual users should register their requirements with the canalising agency within their original validity period or six months from the date of issue of this Public Notice whichever is earlier.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात-व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1971

विषय.—अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 अवधि के लिए लोहा और इस्पात की सरणीबद्ध मदों के लिए रिहाई आदेश जारी करना।

स० 117 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडबुक वा०–1) के खंड 3 में यथा निहित उन मदों की सूची की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनका आयात सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरणों के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाता है।

2. इस बात का निश्चय किया गया है कि लोहा और इस्पात की सरणीबद्ध मदों के सम्बन्ध में लाइसेंस प्राधिकारी रिहाई आदेश जारी करेंगे, जो केवल 6 मास के लिए वैध होंगे और वास्तविक उपयोक्ताओं को चाहिए कि वे इस वैध अवधि के दौरान ही अपनी आवश्यकताओं को सरणीबद्ध करने वाले अभिकरणों के पास पंजीकृत करवा दें। यदि सरणीबद्ध करने वाले सम्बन्धित अभिकरणों के पास 6 मास की वैध अवधि के भीतर रिहाई आदेश पंजीकृत नहीं करवाए जाते हैं तो वे माल के संभरण के सम्बन्धित रिहाई आदेशों को स्वीकार नहीं करेंगे।

3. ऐसे वास्तविक उपयोक्ता जिन्हें अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 लाइसेंस अवधि के लिए लोहा और इस्पात की मदों के लिए रिहाई आदेश पहले से जारी कर दिए गए हैं, उन्हें भी चाहिए कि वे रिहाई आदेश जारी होने की तिथि से 6 मास के भीतर अपने रिहाई आदेशों को सरणीबद्ध करने वाले सम्बन्धित अभिकरणों के पास पंजीकृत करवा दें।

4. अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 लाइसेंस अवधि से पूर्व के जारी किए गए रिहाई आदेशों के सम्बन्ध में वास्तविक उपयोक्ताओं को चाहिये कि वे अपनी आवश्यकताओं को अपनी मूल वैध अवधि के भीतर या प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से 6 मास के भीतर, इन में जो भी पहले हो, सरणीबद्ध करने वाले अधिकरणों के पास पंजीकृत करवाएं।

SUBJECT.—*Terms and conditions for licensing of imports under West German DM 101.5 million commodity credit for 1970-71.*

No. 118-ITC(PN)|71.—Attention is invited to Public Notice No. 62-ITC(PN)|71 dated the 21st June, 1971.

2. On a review, it has been decided that all valid import licences issued between the 1st April, 1970 and the 31st March, 1971 under West German Commodity Credit in terms of Public Notice No. 75-ITC(PN)/70 dated the 25th May, 1970 may be switched over to DM 101.5 million Credit for 1970-71 on request in the manner indicated below and will be governed by the provisions of the Public Notice No. 62-ITC(PN)/71 dated the 21st June, 1971.

(i) Where orders have been placed for the full value of the import licence, the switch over would be for the full value of the import licence;

(ii) where orders have been placed for a part value of the import licence, the switch over should be restricted to the value of the orders;

Provided that payments under these two categories of licences will be limited to the value of orders placed, less payments already made.

3. This facility will not be available in respect of import licences, where no orders have been placed within the prescribed period.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय.—1970–71 के लिए पश्चिम जर्मन डी एम 101.5 मिलियन पण्य क्रेडिट के अन्तर्गत आयात के लिए लाइसेंस जारी करने से संबंधित नियम और शर्तें ।

सं० 118-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—सार्वजनिक सूचना संख्या 62–आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 21 जून 1971 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. पुनरीक्षा करने पर, यह निश्चय किया गया है कि 1 अप्रैल, 1970 और 31 मार्च, 1971 के बीच जो लाइसेंस सार्वजनिक सूचना संख्या 75–आई० टी० सी० (पी एन.), दिनांक 25 मई, 1970 की शर्तों के अनुसार पश्चिम जर्मन पण्य क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए हैं, उन्हें नीचे बताए गए तरीके से आवेदन करने पर 1970–71 के लिए 101·5 मिलियन क्रेडिट के लिए उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है और वे सार्वजनिक सूचना संख्या 62–आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 21 जून, 1971 की व्यवस्थाओं द्वारा शासित होंगे ।

(i) जहां पर आदेश आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए दिए गए हैं, तो परिवर्तन आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए होगा;

(ii) जहां पर आदेश आयात लाइसेंस के आंशिक मूल्य के लिए दिए गए हैं तो परिवर्तन दिए गए आदेश के प्रतिबंधित मूल्य के लिए होना चाहिए।

बशर्ते कि इन दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत लाइसेंस का भुगतान दिए गए आदेशों के मूल्य तक सीमित होगा और कम भुगतान पहले ही कर दिए गए हैं।

3. जहां निर्धारित अवधि के भीतर आदेश नहीं दिए गए हैं, तो आयात लाइसेंसों के संबंध में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971